उत्तर प्रदेश शासन
पर्यावरण अनुभाग-2
संख्या-03/2019/28(1)/55-पर्या-2-19-68(पर्या0)/2018
लखनऊः दिनांकः 12 फरवरी, 2019

"संशोधनादेश"

शासनादेश संख्या-02/2019/28/55-पर्या-2-19-68(पर्या0)/2018 दिनांकः 05-01-2019 द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-2019 में पर्यावरणीय शोध एवं क्रियान्वयन कार्यक्रम के अंतर्गत रू0 5,00,000/- की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है, जिसमें त्रुटिवश दिनांक:05-02-2019 के स्थान पर दिनांकः 05-01-2019 अंकित हो गया है।

अतः शासनादेश संख्या-02/2019/28/55-पर्या-2-2019-68(पर्या0)/2018 दिनांकः 05-01-2019 के स्थान पर शासनादेश संख्या-02/2019/28/55-पर्या-2-2019-68(पर्या0)/2018 दिनांकः 05-02-2019 पढा जाये। शासनादेश की अन्य शर्ते यथावत रहेगी। उक्त शासनादेश इस सीमा तक संशोधित समझा जाये।

(भारत प्रसाद)
अनु सचिव।

संख्या-03/2019/28(1)/55-पर्या-2-19-68(पर्या0)/2018, तददिनांकित

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ, उ0प्र0।
3- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0-7/वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1/2।
4- नियोजन अनुभाग-4/राज्य योजना आयोग-1

आज्ञा से,

(भारत प्रसाद)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in